सूचना का
अधिकार

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
पिन कोड–492002

———

कमांक एफ 11–1/2013/आरटीआई/सूअप्र, रायपुर दिनांक 1, जनवरी, 2014,

प्रति,

समस्त जिला कलेक्टर्स, (छ.ग.)

विषयः– छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012 की अनुशंसा कंडिकाओं पर कार्रवाई करने बाबत् ।

———000———

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, रायपुर द्वारा तैयार वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012 की कंडिका–5.04 में दिए गए सुझाव के अनुसार, तहसील, विकास खण्ड एवं पंचायत स्तरों पर प्रशिक्षण की कमी के कारण अधिनियम के तहत सूचना प्रदान करने के कार्य में तत्परता नहीं दिखाई जा रही है, अतएव तहसील, विकास खण्ड एवं पंचायत स्तरों पर प्रशिक्षण की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए, जिला स्तर अथवा तहसील स्तर पर सुविधानुसार विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए, ताकि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का समुचित रूप से कियान्वयन हों तथा जन सूचना अधिकारियों/अपीलीय अधिकारियों को हो रही कठिनाईयों का समाधान किया जा सके ।

2/ अतः अनुरोध है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कियान्वयन प्रभावी ढंग से संपादित करने के लिए आपके अधीनस्थ लोक प्राधिकरणों में पदनामित जन सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी एवं धारा–5(5) के अधीन कार्य संपारित करने वाले कर्मचारियों को यथाशीघ्र प्रशिक्षण दिए जाने की तत्काल व्यवस्था करने का कष्ट करें ।

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
एवं जन सूचना अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.कमांक एफ 11–1/2013/आरटीआई/सूअप्र, रायपुर दिनांक 1 जनवरी, 2014

प्रतिलिपिः–

सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, निर्मल छाया भवन, मीरा दातार, रोड़ शंकर नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ।

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
एवं जन सूचना अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग